न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तिल्दा
जिला –रायपुर छ.ग.

(पीठासीन–श्रीमती कंचन लता आचला)

दांडिक प्रकरण क्रमांक –01/2018
संस्थित दिनांक – 02/01/2018
अपराध क्रमांक – 387/2017

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नेवरा
जिला रायपुर छत्तीसगढ ————————————————**अभियोजन**

///ब ना म///

गणेश सोनकर पिता प्यारे लाल सोनकर
उम्र–39 साल, साकिन वार्ड क्रमांक 02 सिमगा
थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार छ0ग0 ——————————**अभियुक्त**

///नि र्ण य///

(आज दिनांक 18/07/2019 को घोषित किया गया)

---

01. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता के तहत यह आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 31/05/2017 को समय लगभग 08:30 बजे घटना स्थल सासाहोली गोपाल पेट्रोल पंप के पास नेवरा थाना नेवरा, जिला रायपुर में वाहन हाईवा क्रमांक सी जी 04 LN 1082 को तेजी, लापरवाही, उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक चलाते हुए मोटरसायकल में सवार कुमारी बाई सोनकर को गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित किया जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नही आता है।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक

11/06/2017 को थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में बिना नंबरी मर्ग डायरी 0/60/2017 धारा 174 जा0 फौ0 की मर्ग डायरी नंबरी हेतु प्राप्त हुआ था जिसमें मृतिका कुमारी बाई सोनकर पति अर्जुन सोनकर की दिनांक 31/05/2017 को बाईक से गिरने से सिर में अंदरूनी चोट लगने से ईलाज के दौरान दिनांक 01/06/2017 को मृत्यु हो जाना लेख होने से थाना नेवरा में मर्ग क्रमांक 49/17 धारा 174 जा0 फौ0 कायम कर जांच कार्यवाही किया गया। दौरान जांच के मृतिका के देवर गणेश सोनकर के द्वारा अपने वाहन क्रमांक सी जी 04 एल एन 1082 को चलाते हुये मोबाईल से बात करते हुये तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट किये जाने से मृतिका के सिर में गंभीर चोट आने के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु होना पाये जाने से विवेचनाकर्ता ने अभियुक्त के विरूद्ध थाना नेवरा के अपराध क्रमांक 387/2017 धारा 304–ए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है। विवेचनाकर्ता द्वारा गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 304–ए भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया है।

03. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध विवरण विरचित कर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त को धारा 313 द प्र स के तहत परीक्षण किये जाने पर मैं निर्दोष हूं, मुझे झूंठा फंसाया गया है का कथन किया है एवं अपने

बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

04. **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

(01)– क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 31/05/2017 को समय लगभग 08:30 बजे घटना स्थल सासाहोली गोपाल पेट्रोल पंप के पास नेवरा थाना नेवरा, जिला रायपुर में वाहन क्रमांक सी जी 04 LN 1082 को तेजी, लापरवाही, उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक चलाते हुए मोटरसायकल में सवार कुमारी बाई सोनकर को गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित किया जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नही आता है ?

<u>–: विचारणीय प्रश्न 01 पर सकारण निष्कर्ष :–</u>

05. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त कुमारी बाई को अपने मोटरसायकल वाहन में बिठाकर नेवरा से वापस सिमगा की ओर जा रहा था। अभियुक्त के द्वारा अर्जुन को फोन कर बताया कि रात्रि के समय वापस आते समय कुमारी बाई सोनकर मोटरसायकल से गिर गई है। सूचना पर वे लोग मिशन अस्पताल तिल्दा गये थे जहॉ उन लोगों ने कुमारी बाई को देखा था उसके सिर में चोट लगी थी।

06. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आहत को अग्रिम ईलाज हेतु वी केयर अस्पताल अग्रिम ईलाज हेतु भर्ती किया था जहां ईलाज के दौरान कुमारी बाई की

मृत्यु हो गई थी। अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 का उक्त कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहा है।

07. सहायक उपनिरीक्षक एम एल देवांगन असा–07 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 01/06/2017 को वी केयर सुपर स्पेसलिटी अस्पताल से थाना प्रभारी थाना न्यू राजेंद्र नंगर को श्रीमती कुमारी बाई सोनकर की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर के मर्ग कमांक 0/7/17 पंजीबद्ध किया गया जो प्रपी–11 है। मर्ग कमांक 0/7/17 की डायरी प्राप्त हुई थी उसके द्वारा श्रीमती कुमारी बाई सोनकर की मृत्यु जांच में उपस्थित होने बाबत साक्षीयों को नोटिस जारी किया था जो प्रपी–01 अ है जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

08. सहायक उपनिरीक्षक एम एल देवांगन असा–07 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसके द्वारा श्रीमती कुमारी बाई सोनकर के शव का नक्शा पंचायत नामा तैयार किया गया है जो प्रपी–02 है जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। श्रीमती कुमारी बाई सोनकर के शव को शव परीक्षण उपरांत शव को कफन दफन हेतु सुपुर्दनामा पर दिये जाने शव परीक्षण आवेदन तैयार कर आरक्षक कमांक 338 देवेश पटेल को कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रपी–12 है जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। आरक्षक कमांक 338 देवेश पटेल के द्वारा शव

परीक्षण प्रतिवेदन उसे प्रदान किया गया है जिसे उसके द्वारा डायरी में संलग्न किया गया है।

09. आरक्षक देवेश पटेल असा–08 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसे सहायक उपनिरीक्षक एम एल देवांगन द्वारा मृतिका कुमारी बाई सोनकर के शव परीक्षण कराने एवं शव सपुर्दनामें पर प्रदान करने के लिये कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया था। मृतिका कुमारी बाई सोनकर के शव परीक्षण हेतु भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर ले जाकर कराया गया था एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर शव को सुपुर्दनामें पर प्रदान कर वापस थाना आया था एवं शव परीक्षण तथा शव सुपुर्दनामा पत्र को विवेचनाकर्ता को दिया था, कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रपी–12 है जिसके ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

10. साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह मृतिका कुमारी बाई के शव परीक्षण कार्यवाही में उपस्थित था। शव परीक्षण कार्यवाही में उपस्थित होने बाबत् नोटिस प्रपी–01 एवं नक्शा पंचायत नामा प्रपी–02 है जिसके कमशः अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उसने मृतिका कुमारी बाई के शव को शव परीक्षण उपरांत कफन दफन हेतु सुपुर्दनामा में प्राप्त किया है जो सुपुर्दनामा प्रपी–03 है जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

11. डॉ एम निराला असा–04 ने अपने न्यायालयीन कथन में

बताया है कि दिनांक 02/06/2017 के समय 11:40 ए एम बजे थाना न्यू राजेंद्र नगर के आरक्षक क्रमांक 338 देवेश पटेल द्वारा मृतिका श्रीमती कुमारी बाई सोनकर पति अर्जन सोनकर ग्राम एवं थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार का शव, शव परीक्षण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था। मृतिका के शव के बाह्य परीक्षण में उसने पाया कि शव एक सामान्य कद काठी महिला की थी जो सफेद कपडे से लिपटी थी, मृतिका की शरीर में कपडे मौजूद नही थे, शरीर ठंडा था, शरीर में मृत्यु पश्चात अकडन मौजूद था, दोनो आंखे बंद थे, मुंह बंद था, जीभ मुंह के अंदर था, सिर में डायनाप्लास्ट बंधा था।

12. डॉ एम निराला असा–04 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि मृतिका के शरीर में चोट क्रमांक 01 से चोट क्रमांक 09 चोट आना पाया था। मृतिका के आंतरिक परीक्षण में उसके पर्दा, पसली, कोमल्स्व, कंठ और श्वासनली साबूत थे, दायां एवं बायां फेफडा साबूत एवं सूजा हुआ पाया था, पेरीकार्डियम साबूत था, हृदय एवं वृहद वाहिकाए साबूत थे, मृतिका की दांया वेन्ट्रीकल में रक्त एवं रक्त का थक्का भरा पाया था। पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह एवं ग्रसनी साबूत थे, पेट में 100 एमएल भूरे रंग का द्रव पदार्थ मौजूद था, छोटी एवं बड़ी आंते गैस एवं मल पदार्थ से भरा हुआ था, यकृत, प्लीहा एवं दोनों गूर्दे साबूत एवं स्वस्थ थे, मुत्राशय साबूत एवं खाली था, भितरी एवं बाहरी जनेन्द्रीया साबूत एवं स्वस्थ थे।

13. डॉ एम निराला असा–04 ने अपने न्यायालयीन कथन में

बताया है कि मृतिका के शरीर में मौजूद सभी चोटे गहरे लाल रंग के लालिमा लिये हुये थे और मृत्यु के पूर्व थे, शव परीक्षण आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या तीन में उल्लेखित सभी चोटे सख्त एवं भोथरे वस्तु से आई हुई थी और मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। उसके अभिमतानुसार मृतिका की मृत्यु सिर में आई चोटों के कारण हृदय एवं श्वसनगति के रूकने से हुई थी। मृत्यु की अवधि उसके शव परीक्षण करने के चौबीस घंटों के अवधि के भीतर की है। मृतिका की शव परीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन प्रपी–07 है जिसके कमशः अ से अ, ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उसके द्वारा मृतिका का शव परीक्षण कर दिया गया रिपोर्ट प्रपी–08 है जिसके कमशः अ से अ, ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

14. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 के न्यायालयीन कथन से यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को कुमारी बाई को मोटरसायकल वाहन से गिरने से चोट लगी थी तथा ईलाज के दौरान वी केयर अस्पताल रायपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉ एम निराला असा–04 ने दिनांक 02/06/2017 को मृतिका कुमारी बाई का शव परीक्षण करना बताया है एवं शव परीक्षण में मृतिका की मृत्यु सिर में आई चोटो के कारण हृदय एवं श्वसनगति के रूकने से हुई है बताया है जो शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी–08 से भी स्पष्ट हो रहा है। अतः उपरोक्त साक्षीयों के कथन से यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक

को मृतिका कुमारी बाई को मोटरसायकल वाहन से गिरने से चोट लगी थी एवं एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है।

15. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 31/05/2017 को अपने मोटरसायकल कमांक सी जी 04 एल एन 1082 को तेजी, लापरवाही, उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक चलाकर मृतिका को गिराकर उसकी मृत्यु कारित किया गया है ?

16. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 ने अपने न्यायालयीन में बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मृतिका कुमारी बाई को अपने मोटरसायकल वाहन में बैठाकर नेवरा से सिमगा की ओर जाते समय मृतिका कुमारी बाई मोटरसायकल वाहन से गिर गई थी जो प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहा है।

17. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 ने अपने न्यायालयीन कथन में एक्सीडेंट करने वाले वाहन का नंबर क्या है नही बताया है एवं किसकी गलती से कुमारी बाई का एक्सीडेंट हुआ है वे लोग नही जानते है का कथन किया है।

18. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर

अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त के द्वारा अपनी मोटरसायकल क्रमांक सी जी 04 एल एन 1082 को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलकार एक्सीडेंट किया है।

19. अभियोजन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतिका कुमारी बाई वाहन से कैसे गिरी है एवं उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ है वे लोग नही बता सकते है। साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 के न्यायालयीन कथन से यह स्पष्ट प्रमाणित नही हो रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाया था जिससे मृतिका कुमारी बाई वाहन से गिर गई थी तथा उसे चोट आई थी।

20. विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक जनकलाल बंदे असा–09 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी गणेश सोनकर को वाहन मोटरसायकल सीडी 110 क्रमांक सीजी 04 एलएन 1082 को मय कागजात पेश करने के संबंध में धारा 91 दप्रसं. का नोटिस दिया था जो नोटिस प्रपी–13 है जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। आरोपी गणेश सोनकर के द्वारा वाहन चालन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था जो प्रकरण में संलग्न है।

21. प्रकरण में साक्षी लक्ष्मण दास मानिकपुरी असा–05 वाहन मुलाहिजा के साक्षी है तथा साक्षी लक्ष्मण दास मानिकपुरी असा–05 ने

वाहन मुलाहिजा रिपोर्ट प्रपी–09 देना बताया है।

22. विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक जनकलाल बंदे असा–09 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी गणेश सोनकर के पेश करने पर मोटरसायकल सीडी 110 कमांक सीजी 04 एलएन 1082 को एवं वाहन का आरसी बुक, इंश्योरेंस एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस को गवाहो के समक्ष जप्त किया था जप्ती पत्रक प्रपी–4 है जिसके ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–5 है जिसके ब स ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है जिसका समर्थन साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01 एवं परदेशी असा–02 ने भी अपने न्यायालयीन कथन में किया है।

23. प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी अर्जुन सोनकर असा–01, साक्षी परदेशी असा–02 एवं साक्षी योगेश ताम्रकार असा–03 के न्यायालयीन कथन से अभियुक्त ने घटना दिनांक 31/05/2017 को अपने वाहन कमांक सी जी 04 एल एन 1082 को तेजी, लापरवाही, उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक वाहन को चलाकर मृतिका कुमारी बाई वाहन से गिराया था जिससे उसकी मृत्यु हुई है स्पष्ट नही हो रहा है अतः यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 31/05/2017 को समय लगभग 08:30 बजे घटना स्थल सासाहोली गोपाल पेट्रोल पंप के पास नेवरा थाना नेवरा, जिला रायपुर में वाहन कमांक सी जी 04 LN 1082

को तेजी, लापरवाही, उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक चलाते हुए मोटरसायकल में सवार कुमारी बाई सोनकर को गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित किया जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नही आता है। अतः ***विचारणीय प्रश्न कमांक 01 प्रमाणित नही पाया जाता है।***

24. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304(ए) भारतीय दंड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर धारा 304(ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त के द्वारा पेश जमानत बंधपत्र धारा 437 (क) द प्र स के प्रावधानानुसार निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

26. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक सी जी 04 LN 1082 मय दस्तावेज सुपुर्दनामें पर है उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर मूल स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो एवं अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जावें।

27. धारा 428 द प्र स के प्रावधानानुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि निरंक है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।
तिल्दा–
दिनांक–18 / 07 / 2019

सही / –
(श्रीमती कंचन लता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तिल्दा
जिला रायपुर छ0ग0

मेरे निर्देशानुसार
टंकित किया गया।

सही / –
(श्रीमती कंचन लता आचला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तिल्दा
जिला रायपुर छ0ग0

दा0 प्रकरण कमांक – 01/2018
राज्य विरूद्ध गणेश सोनकर

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि इस पी.डी.एफ.फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।
साक्ष्य लेखक :– गोपाल प्रसाद देवांगन

–